प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 08 मई, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इस्तकबाल पुत्र श्री अख्तर, निवासी जनपद-मेरठ की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक कारागार (मु0) पत्र संख्या-29977/प्रोबे0अनु0(2)238/सला0समिति/(एम0 दिनांक-14-09-2022), दिनांक 20.09.2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इस्तकबाल पुत्र श्री अख्तर, ग्राम-नंगला साहू, थाना-भावनपुर, जनपद-मेरठ का निवासी है। बन्दी ने दिनांक 19.04.2004 को सुबह लगभग 9.24 बजे वादी, उसका भाई शाहदत, कामिल पुत्र हाजीमुल्लाह, कामिल की बहन नन्हीं व मतलूब, तारीख पर कचेहरी मेरठ जाने के लिए बस के इंतजार में मदरसे के पास खड़े थे तभी बंदी ने अपने 04 अन्य सहअभियुतों के साथ तमंचे से शाहदत पर फायर करना शुरू कर दिया। वह मदरसे के अन्दर की ओर भागा तो बंदी ने मदरसे के अन्दर घुसकर शाहदत (एक व्यक्ति) को गोलियों से छलनी कर हत्या कर दिया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-545/04 में भा0द0वि0 की धारा-147,148,307/149, 302/149 के अन्तर्गत मा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0-11, मेरठ के आदेश दिनांक 04.05.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक-07.10.2021 द्वारा बंदी की अपील निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 25.08.2022 तक 18 वर्ष 03 माह 21 दिन की अपरिहार सजा तथा 21 वर्ष 04 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु 25.08.2022 तक 54 वर्ष 11 माह 29 दिन है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एवं जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओ की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी।

3- क्रिमिनल रिट याचिका संख्या-48/2014 भारत संघ बनाम वी श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में मा0 दण्डन न्यायालय की पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्गत अभिमत दिनांक 30.04.2022 में अकित किया गिया कि अभियुक्त इस्तकबाल पुत्र श्री अख्तर के संदर्भ मे प्रेषित अभिलेखों के अवलोकन के उपरांत सिद्धदोष बंदी को समयपूर्व रिहाई हेतु प्रेषित नामिनल रोल के संदर्भ में इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। समिति का अभिमत है कि दिनांक 19.04.2004 को सुबह लगभग 9.24 बजे वादी, उसका भाई शाहदत, कामिल पुत्र हाजीमुल्लाह, कामिल की बहन नन्हीं व मतलूब, तारीख पर कचेहरी मेरठ जाने के लिए बस के इंतजार में मदरसे के पास खड़े थे तथी बंदी ने अपने 04 अन्य सहअभियुतों के साथ तमंचे से शाहदत पर फायर करना शुरू कर दिया। वह मदरसे के अन्दर की ओर भागा तो बंदी ने मदरसे के अन्दर घुसकर शाहदत(एक व्यक्ति) को गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी। जिला मजिस्ट्रेट व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

की संस्तुति नहीं की गयी। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी इस्तकबाल पुत्र श्री अख्तर को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

4- उपर्युक्त वार्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझें यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी इस्तकबाल (बन्दी संख्या-13385) पुत्र श्री अख्तर, निवासी जनपद, मेरठ की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या-197/2023/2934(1)/22-2-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जनपद-मेरठ ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।